उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(वैयक्तिक सहायक कक्ष)

संख्या - 407/सू0एवंज0सं0वि0(वै0स0क0)-2025

लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2025

कार्यालय-आदेश

सूचना विभाग में तैनात नवागन्तुक अपर निदेशक, श्री अरविन्द कुमार मिश्र को एतद्द्वारा निम्नानुसार कार्य एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाता है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	**श्री अरविन्द कुमार मिश्र,** अपर निदेशक	**कार्य -** विभाग के समस्त कार्य।
		वित्तीय अधिकारः- 1- अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ कार्योलयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदने का पूर्ण अधिकार। 2- वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत करने का पूर्ण अधिकार। 3- राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों के उपयोगार्थ एस0जी0पी0जी0आई0 एवं रियायती रेल-वे कूपन निर्गत करने का पूर्ण अधिकार। 4- कार्यालय के गाड़ियों/मोटर वाहनों की डीजल/पेट्रोल व मोबिल आयल के रू0 15,000/- या एक माह के खपत के मूल्य तक, जो कम हो, के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करना। 5- मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान के कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख) तक भुगतान स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। 6- वाहनों हेतु डीजल/पेट्रोल क्रय एवं अनुरक्षण, टेलीफोन एवं बिजली बिल के भुगतान का पूर्ण अधिकार। 7- जी0पी0एफ0- अराजपत्रित कार्मिकों को स्थायी/अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। जी0पी0एफ0- राजपत्रित कार्मिकों को अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। 8- अवकाश- मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार प्रभाग के अराजपत्रित कार्मिकों को अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। 9- मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार प्रभाग के अराजपत्रित कार्मिकों के टी0ए0 बिलों की स्वीकृति/ भुगतान का पूर्ण अधिकार। 10- व्यवस्था एवं सामान्य स्टोरः- रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार) की सीमा तक की स्वीकृति एवं भुगतान करने का पूर्ण अधिकार।

		11- राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ एवं नई दिल्ली से संबंधित कार्यों हेतु रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार) की सीमा तक की स्वीकृति एवं भुगतान करने का पूर्ण अधिकार। 12- प्रकाशन संबंधी कार्यों की रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख की सीमा तक) स्वीकृत/भुगतान करने का पूर्ण अधिकार। 13- रू0 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) की सीमा तक विज्ञापन बीजकों (सजावटी एवं वर्गीकृत) को पारित करने का अधिकार अग्रिम आदेशों तक प्रतिनिधानित किया जाता है।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। विभाग के समस्त संबंधित अधिकारी अपने आवंटित कार्यों की पत्रावलियां उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(विशाल सिंह)
निदेशक, सूचना।

संख्या- 407/सू0एवं ज0सं0वि0(वै0स0क0)-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर निदेशक, सूचना।
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।
3. उप निदेशक/ समस्त सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारीगण।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
5. समस्त प्रभागों के प्रशासनिक अधिकारीगण।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड पत्रावली हेतु।

(विशाल सिंह)
निदेशक, सूचना।